प्रेषक,

संख्या–2214 / मं0स0(278) / 2021

ओंकार शुक्ल
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एव
संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र –2, समुदाय केन्द्र
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक 29–10–2021

विषय – वी0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, अहमदगढ़, ब्लाक –पहासू, बुलन्दशहर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्व हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1916 / 15–7–9(299) / 2007 दिनांक 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 28–10–2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतू निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनानत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया –

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अमनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नही दिये जायेंगे।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें साहयता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेंवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुक्ल से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(5) फीस उन्ही मदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पुर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।

(6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(7) उक्त शर्तो में राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिर्वन / संशाधन / परिवदंधन नही किया जायगा।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) विद्यालय की प्रगन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(10) संस्था द्वारा राज्य से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की इण्डियन स्कूल सटीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार प्राप्त अनुदान समाप्त हो जायेगा।

(11) निशुल्क और अनिवार्य पाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(12) संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा–जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय का उपलब्ध कराया जाय।

(13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

29/10/21

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

29-10-21

<u>पृष्ठांकन संख्या 2214/म0स0(276)/2021 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषितः–

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
(6) प्रबन्धक, वी0डी0एस0 पब्लिक स्कूल अहमदगढ़, ब्लाक –पहासू, बुलन्दशहर।

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल मेरठ।